1. **पंजीकरण शुल्क (Non Refundable)**: ऑनलाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थियों से सभी चक्रों (प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप तथा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण के रूप में निम्नलिखित अनुसार धनराशि प्रति छात्र आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भुगतानकरना होगाः–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए	शुल्क रू0 1,500 (एक हजार पांच सौ) मात्र
शेष अन्य अभ्यर्थियों के लिए	शुल्करू0 2,000 (रूपये दो हजार) मात्र

केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकारकिया जायेगा।अभ्यर्थियों कोसभी चक्रोंकी काउन्सिलिंग हेतुकेवलएकबार हीपंजीकरण तथा पंजीकरण शुल्क काभुगतानकरना होगा। भुगतान किया गयापंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा(Non refundable)।

2. **धरोहर धनराशि (Security Money):**यू0पी0 आयुष यू0जी0 कोर्स के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में सीट आवंटन हेतु काउन्सिलिंगप्रकिया में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों कोनिम्नानुसार धरोहर धनराशि (Security Money),ऑनलाइन लिंक के माध्यम सेभुगतानकरना अनिवार्य होगाः–

केवल **राजकीय** आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government Colleges only)	धरोहर धनराशि रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र)
केवल **निजी क्षेत्र** के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Private Colleges only)	धरोहर धनराशि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)
राजकीय एवं निजी क्षेत्र, दोनो प्रकार के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both)	धरोहर धनराशि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)

2.1. पंजीकरण शुल्क/धरोहर राशि के ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जायेगी।

2.2 धरोहर राशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन भरने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा।

2.3 **प्रवेश के उपरान्त धरोहर धनराशि वापसी**–जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात् सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश ले लिया जायेगा, उनकी धरोहर धनराशि उनके द्वारा पंजीकरण के समय दी गयी जानकारी के अनुसार ऑनलाइन वापस कर दी जायेगी।

2.4 यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) से अभ्यर्थी को सीट

आवंटित होती है, तो उसे शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रूपये एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

2.4 अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापसी हेतु बैंक का विवरण (बैंक का नाम एवं शाखा, खातेदार का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड)धरोहर धनराशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा।

2.5 **निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी–**

(क) प्रथम अथवा द्वितीय अथवा मॉप–अप अथवा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि कालेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(ख) प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन के उपरान्त कालेज में प्रवेश नहीं लेते हैं। (प्रथम अथवा द्वितीय चक्र कीकाउन्सिलिंग में दिये गये वरीयता विकल्प के आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसकी पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा।